न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निवाई

(पीठासीन अधिकारीः रामकरण सिंह, आर.ए.एस.)

प्रार्थनापत्र सं0---273/2016 (जीसीएमएस नं.2025/00287)

प्रविष्टि दिनांक ---04.10.2016

1. भंवरलाल पुत्र हरजी उम्र 55 साल जाति गुर्जर निवासी भोपा की ढाणी जोधपूरिया तह० निवाई जिला-टॉक (राज०)
2. श्रवण पुत्र मोतीलाल जाति गुर्जर निवासी भोपा की ढाणी जोधपूरिया तह० निवाई जिला-टोंक (राज०)
3. राजाराम पुत्र श्योनारायण जाति गुर्जर निवासी भोपा की ढाणी जोधपूरिया तह० निवाई जिला-टॉक (राज०)
4. रामस्वरूप पुत्र श्योनारायण जाति गुर्जर निवासी भोपा की ढाणी जोधपूरिया तह० निवाई जिला-टोंक (राज०)
5. रामधन पुत्र मोती जाति गुर्जर निवासी भोपा की ढाणी जोधपूरिया तह० निवाई जिला-टोंक (राज०)
6. रामकन्या पुत्री हरजी जाति गुर्जर निवासी भोपा की ढाणी जोधपूरिया तह० निवाई जिला-टोंक (राज०)
7. देवराज पुत्र जगदीश जाति गुर्जर निवासी भोपा की ढाणी जोधपूरिया तह० निवाई जिला-टोंक (राज०)
8. बसन्तलाल पुत्र जगदीश जाति गुर्जर निवासी भोपा की ढाणी जोधपूरिया तह० निवाई जिला-टोंक (राज०)
9. शिमला पुत्री जगदीश जाति गुर्जर निवासी भोपा की ढाणी जोधपूरिया तह० निवाई जिला-टोंक (राज०)
10. लादी पत्नी जगदीश जाति गुर्जर निवासी भोपा की ढाणी जोधपूरिया तह० निवाई जिला-टोंक (राज०)

प्रार्थीगण

बनाम

1. मोहरिया पुत्र मेवा गुर्जर जाति गुर्जर निवासी भोपा की ढाणी जोधपूरिया तह० निवाई जिला-टॉक (राज०) - मृतक-

1/1-रामफूल पुत्र स्व० मोहरिया जाति गुर्जर निवासी भोपा की ढाणी जोधपूरिया तह० निवाई जिला-टॉक (राज०)

1/2-बद्री पुत्र स्व० मोहरिया जाति गुर्जर निवासी भोपा की ढाणी जोधपूरिया तह० निवाई जिला-टॉक (राज०)

1/3-सूरजा पुत्री स्व० मोहरिया जाति गुर्जर निवासी भोपा की ढाणी जोधपूरिया तह० निवाई जिला-टॉक (राज०)

2. सोन्या पुत्र मेवा जाति गुर्जर निवासी भोपा की ढाणी जोधपूरिया तह० निवाई जिला-टॉक (राज०) - मृतक-

2/1: तीजा पत्नी सोन्या जाति गुर्जर निवासी भोपा की ढाणी जोधपूरिया तह० निवाई जिला-टोंक (राज०)

3-तहसीलदार साहब निवाई जिला-टोंक (राज०) -

अप्रार्थीगण

उपस्थित- श्री गिरधर सिंह तंवर-अभिभाषक, प्रार्थी
श्री रामावतार शर्मा- अभिभाषक, अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र- धारा 251(क) राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

निर्णय

दिनांक- 21.08.25

प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि करीब 70 वर्षों से प्रार्थीगण भोपा ढाणी जोधपुरिया में मय परिवारजन मकान बनाकर निवास कर रहे हैं तथा अप्रार्थी भी उक्त ढाणी में ही निवास कर रहे हैं। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि ख0नं0 914,

914/1086, 914/1087, 914/1088, व ख0नं0 913 में काश्त करते चले आ रहे हैं। प्रार्थीगण की ढाणी तक आने जाने के लिए मुख्य सडक से ख0नं0 914/1083, ख0नं0 914/1085 की मेड पर होकर यानि ख0नं0 914/1084 के मध्य की मेड पर होकर एक कच्चा रास्ता उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर आने जाने का निकला हुआ है। प्रार्थीगण की ढाणी गै0मु0 चाह ख0नं0 913 रकबा 10 बिस्वा व ख0नं0 914/1086 रकवा 09 बिस्वा में बसी हुई है। उक्त रास्ते को निकले हुये व ढाणी को बसे हुये 70 वर्ष गुजर चुके हैं। प्रार्थीगण को मुख्य सडक जोधपुरिया से अपनी ढाणी तक यानी ख0नं0 913, 914/1086 तक आने जाने हेतु ख0नं0 914/1083 व 914/1085 की पूर्वी मेड के सहारे सहारे उत्तर से दक्षिण दिशा की लंबाई युक्त 15 फीट चौडा रास्ता दिलवाया जावे। प्रार्थीगण माननीय न्यायालय के आदेशानुसार DLC रेट के अनुसार प्रतिफल राशि जमा करवाने के लिए तत्पर व तैयार है। अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण को मुख्य सडक जोधपुरिया से दक्षिण दिशा की लंबाई युक्त रास्ता ख0नं0 914/1083 व 914/1085 की पूर्वी मेड के सहारे सहारे DLC रेट जमा करके रास्ता दिलवाया जावे, जो विधि संगत व न्यायसंगत है।

प्रार्थनापत्र के साथ अधिवक्ता द्वारा जमाबंदी व नक्शा ट्रेस, प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली है।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री रामावतार शर्मा ने वकालतनामा पेश किया। तहसीलदार निवाई से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार निवाई की ओर से पत्रांक भू0अ0/2019/1148 दिनांक 25.02.19 को मौका रिपोर्ट मय दस्तावेजात के प्राप्त, जो शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी सं0 1 व 2 फोत होने से उनके विधिक वारिसान को रिकॉर्ड पर लिया गया। वारिसान की ओर से अधिवक्ता श्री रामावतार शर्मा ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया, शामिल पत्रावली है। जवाब में वर्णित तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है :– प्रार्थीगण के मकानात के सटवा ही पश्चिमी व दक्षिणी व स्वयं प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि तथा ख0नं0 913 गै0मु0 चाह प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण तथा अन्य हिस्सेदारान की चाह की भूमि है। प्रार्थीगण कभी भी ख0नं0 914/1083 व ख0नं0 914/1085 की मेड पर कोई रास्ता ना तो पूर्व में था ओर न ही वर्तमान में है। उक्त स्थल का कभी भी प्रार्थीगण ने रास्ते के रूप में प्रयोग नहीं किया। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य सन् 2016 में अप्रार्थीगण शामलाती भूमि ख0नं0 913 गै0मु0 चाह की पड़त भूमि में अप्रार्थीगण अपने हिस्से की भूमि में मकानात निर्माण करवाना चाहते थे इस बात को लेकर झगडा हुआ था, जिससे रंजिशवश प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को हैरान व परेशान करने के उद्देश्य से उक्त प्रार्थना पत्र सही एवं वास्तविक तथ्यों को छिपाकर गलत रूप से पेश किया है जो निरस्त योग्य है। प्रार्थीगण के पास अपनी ढाणी एवं भूमि पर आने जाने हेतु अर्सा दराज पूर्व से ही वैकल्पिक रास्ते उपलब्ध है तो उन्हें किसी भी रूप से अप्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि में एवं नक्शा ट्रेस में किसी प्रकार का कोई रास्ता कायम करवाने का ही विधिक अधिकार नहीं है। तथा धारा 251 (क) में दिये गये प्रावधानों के मुताबिक उक्त आवेदन किसी भी रूप से विधि अनुसार चलने योग्य नहीं होने के कारण आवेदन विशेष हर्जा–खर्चा सहित खारिज फरमाया जाना न्यायसंगत हैं। अप्रार्थीगण जो संख्याबल में प्रार्थीगण से कमजोर है इसी का नाजायज फायदा उठाकर प्रार्थीगण ऐनकेन प्रकारेण अप्रार्थीगण को तबाह एवं बर्बाद करने पर आमादा है। प्रार्थीगण ने धारा 251 (क) का दुरूपयोग कर नाजायज रूप से अप्रार्थीगण की भूमि को तहस नहस व बर्बाद करने के उद्देश्य से उक्त आवेदन प्रस्तुत किया है। जो विधि अनुसार किसी भी रूप में चलने योग्य नहीं है।

तहसीलदार निवाई व पटवार हल्का जोधपुरिया/छोरिया से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी भंवरलाल वगै0 के नाम ग्राम जोधपुरिया में ख0नं0 914, 914/1088, 914/1086, 914/1087 दर्ज रिकॉर्ड है। ख0नं0 914/1083, 914/1084, 914/1085 प्रतिपक्ष मोहरिया वगै0 के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। ख0नं0 915 गै0मु0 सडंक से होकर प्रार्थी अपनी निजी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु प्रतिपक्ष की खातेदारी भूमि ख0नं0 914/1083, 914/1085 की पूर्वी मेड़ के सहारे–2 होकर ख0नं0 914 में जाने हेतु रास्ता चाहता है। प्रार्थी की खातेदारी में आने–जाने के लिए अन्य कोई निकटतम रास्ता नहीं है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से प्रदर्शित किया गया है। वर्तमान में प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता मौके पर चालू नहीं है। प्रार्थी वर्तमान में उक्त प्रस्तावित रास्ते के

उपखण्ड अधिकारी
निवाई (टोंक)

पश्चिमी दिशा के अन्य खातेदारी के खेतों की गेड़ से होकर आना जाना करता है, जो उक्त प्रस्तावित रास्ते से अधिक लम्बा पड़ता है।

इसके पश्चात प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 एवं 251 (क) पर बहस सुनी गई अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुये प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख0नं0 914, 914/1086, 914/1088, 913 वाके ग्राम भोपा की ढाणी जोधपुरिया में पहुंचने हेतु तहसीलदार निवाई से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार रास्ता दिलवाने वावत् निवेदन किया। अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपने जवाब में वर्णित तथ्यों का दोहरान किया जिसका अलग से विवेचन किये जाने का औचित्य नहीं है।

पत्रावली व पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया गया एवं प्रकरण मे उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 एवं 251 (क) खेतो के रास्ते खुलवाने तथा निजी सुखाचार का प्रावधान प्रदान करता है। इस धारा के अनुसार खातेदार के पास अपनी भूमि मे जाने के लिए रास्ता उपलब्ध नही होने पर सुखाचार के तहत नजदीकी सरकारी रास्ते से अपनी भूमि की पहुच तक अन्य खातेदारी की भूमि मे से रास्ता प्राप्त करने हेतु आवेदन कर सकता है। प्रस्तुत प्रकरण भी उक्त धारा के परिप्रेक्ष्य अथवा परिधि मे आता है। उक्त धारा के प्रावधान अनुसार पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार की रिपोर्ट, नक्शा ट्रेस एवं जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के पास सबसे निकटतम रास्ता ख.न. 914/1083 व ख0नं0 914/1085 में से है। उक्त अधिनियम काश्तकारो के सुखाचार को दृष्टिगत रखते हुए बनाया गया है जिसके तहत प्रार्थीगण को प्रस्तावित रास्ता उपलब्ध कराना, सुखाचार के रूप मे निकटतम मार्ग के तथ्य को पूर्ण करने की श्रेणी मे है। अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब के अवलोकन से भी यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि ख0नं0 914, 914/1086, 914/1088, 913 में आने जाने के लिए सबसे निकटतम रास्ता ख0नं0 914/1083 व ख0नं0 914/1085 में से ही है। अतः प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के प्रावधानो एवं उदेश्य के प्रावधानो की परिधी मे होने एवं न्याय संगत होने की दृष्टि से स्वीकार करने योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थनापत्र–अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान टिनेन्सी एक्ट बाबत प्रदान किये जाने रास्ता, रिपोर्ट, मौका रिपोर्ट एवं साक्ष्य दस्तावेजो के आलोक मे स्वीकार किया जाकर तहसीलदार निवाई को आदेश दिये जाते हैं कि वाके ग्राम जोधपुरिया के ख.न. 914, 914/1086, 914/1088, 913 में आने जाने के लिए रास्ते हेतु ग्राम जोधपुरिया तह निवाई के ख.न. 914/1083 व ख0नं0 914/1085 मे से प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार 15 फीट चौडाई की भूमि की DLC दर की दोगुनी राशि जमा राजकोष करवाकर, अप्रार्थीगण को हिस्से अनुसार वितरित की जाकर, प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार जमाबंदी एवं राजस्व नक्शा शीट मे रास्ते के रूप मे अंकन किया जाकर पालना से अवगत करावे।

निर्णय आज **दिनांक** 21-08-25 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

(रामकरण सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
निवाई